

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 591] No. 591] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2002/पौष 6, 1924 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2002/PAUSA 6, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 847(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा वनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास (पायलटेंा को लाइसेंस देना एवं नियंत्रण करना) विनियम 2002 का अनुमोदन करती है 1

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगे 1

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १२४ के साथ पठित धारा २८ द्वारा प्रदत्त शिक्त्यों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित विनियम बनाएं हैं, जिनकेतीम इस प्रकार हैं।

्राञ्जाकेत्राज्याः () संक्षिप्रतः नामः एवं प्रारंभ

- (१) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (पाइलटों को लाइसेंस देना एवं नियंत्रण करना) दूसरा संशोधन विनियम २००२ ।
- (२) यह विनियमावली भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होंगी।

- २. (१) शीर्षक "पाइलटों का वर्गीकरण" के अंतर्गत विनियम ९ के उप-नियम (१) के उप-नियम (क) से (इ) निम्नलिखित रूप से प्रस्थापित होगा :-
 - (क) प्रथम छः महीने के दौरान १०,००० सकल रजिस्टर टन तथा ९.०० मी. के डुबाव के जलयानों को चलाने की अनुमित होगी (सैनिकों, टैंकर और लगून जलयानों को छोडकर)।
 - (ख) अगले छः महीने के दौरान १५,००० सकल रजिस्टर टन तथा ९.०० मी. के डुबाव के जलयानों को चलाने की अनुमित होगी (सैनिकों, टैंकर और लगून जलयानों को छोड़कर)।
 - (ग) अगले छः महीने के दौरान २०,००० सकल रजिस्टर टन तथा ९.५० मी. के सभी जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।
 - (घ) अगले छः महीने के दौरान २५,०००सकल रजिस्टर टन तथा १०.०० मी. के डुबाव जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।
 - (च) अगले छः महीने के दौरान ३०,०००सकल रजिस्टर टन तथा ११.०० मी. के डुबाव जलयानों को चलाने की अनुगति होगी।
 - (छ) अगले छः महीने के दौरान ४०,००० सकल रजिस्टर टन तथा ११.५० मी. के डुबाव जलयानों को चलाने का अनुमात होगी।
- २. शीर्षक "पाइलटों का वर्गीकरण" के अंतर्गत विनियम ९ के उप-नियम (ट) एवं (ठ) को पुन: संख्याकित करके (ज) एवं (झ) किया जाए।

|फा. सं. पी आर-12012/24/2002-पी ई-1| आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:

दि. १३ जून, १९९० के स.का.नि. ५७१ (च) तथा दि. ४ फरवरी, १९९४ के स.का.नि. ६६ (च) के क्षरा मूल विनियम प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SHIPPING (PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2002

G.S.R. 847(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the JawaharLal Nehru Port Trust (Lincensing and Control of Pilots) Amendment Regulations, 2002 made by the Board of Trustees of JawaharLal Nehru Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28, read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following regulations, namely;

*Short Title and Commencement:

- (1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Licensing and Control of Pilots) 2nd Amendment Regulations, 2002
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.
- 2. (1) Clause (5. to (h) of sub regulation (1) of regulation 9 shall be replaced as
 - (a) During the first six months, vessels not exceeding 10000 gross register and draft 9.0 M (excluding men of war, tankers and lagoon vessels).
 - (b) During the next six months, vessels not exceeding 15000 tonnes gross register and Draft 9.00 M (excluding tankers, men of war and lagoon vessels).
 - (c) During the next 6 months, all vessels not exceeding 20000 gross register and draft 9.50 M.
 - (d) During the next 9 months, all vessels not exceeding 25000 gross register and draft 10.0 M.
 - (e) During the next 6 months, all vessels not exceeding 30000 gross register and draft 11.00 M
 - (f) During the next 6 months, vessels not exceeding 40000 gross register and draft 11.50 M.
 - (2) Clauses (j) and (ii) of sub regulation (1) of 9 shall be renumbered as (g) and (h)

 [F. No. PR-12012/24/2002-PE-1]
 R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note:— The Principal Regulations were published vide GSR 571(E) dated 13th June 1990 and amended vide GSR no. 66 (E) dated 4th February 1994.